Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

अनुमंडल न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बनमनखी पूर्णिया
समझ-सतीश मणि त्रिपाठी(बिहार न्यायिक सेवा)
परिवाद सं-1389/2025/सी.आई.एस.-1389/2025
उमेश राम बनाम प्रियंका कुमारी एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
16/03/26	परिवादी की हाजिरी है एवं प्रस्तावित अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है | यह अभिलेख आज आदेश हेतु नियत है | परिवादी द्वारा यह परिवाद धारा 148,191,115(2),118(2),305 एवं ³⁄₅ भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत लाया गया है | परिवादी अपने मामले के समर्थन मे स्वम को एवम चार जाँच साक्षी को परीक्षित कराया गया है परिवादी के द्वारा इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया है कि दिनांक 02/03/25 को 11 बजे दिन में सभी अभियुक्त गण स्कार्पिओ गाड़ी से आये एवं गाली गलौज कर मारपीट करने लगे | अभियुक्त सं. 1 एवं 2 ने परिवादी के साथ एवं अभियुक्त संख्या 3 एवं 4 ने परिवादी के पुत्र के साथ एवं अभियुक्त सं. 5 एवं 6 ने परिवादी की पत्नी के साथ मारपीट किये एवं पत्नी का नकमुन्नी एवं बाली ले लिए | घर से 2 लाख का सामान ले लिए | यद्यपि की परिवादी एवं जाँच साक्षी ने मारपीट एवं गाली गलौज किये जाने की घटना का समर्थन किया है परन्तु आभूषण लिए जाने के संबंध में साक्षियों के कथनो में विरोधाभाष है तथा परिवादी एवं जाँच साक्षियों ने घर से 2 लाख का सामान ले ने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है |सुनवाई के दौरान प्रस्तावित अभियुक्त की ओर से CA-1067/25 के आदेश फलक एवं उक्त परिवाद एवं परिवादी एवं जाँच साक्षियों के कथन की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया गया है | उपरोक्त तथ्य एवम परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि परिवादपत्र मे वर्णित अभियुक्त प्रियंका कुमारी,अशोक रविदास,अनीता देवी,ज्योति कुमारी,अवदेश रविदास उपेंद्र राम के विरुद्ध धारा 115(2),126,352 ,³⁄₅ भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार अभिलेख पर उपलब्ध है| परिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह 14 दिन के भीतर अपेक्षिताये दाखिल करे ततपश्चात कार्यालय समन निर्गत करे | अभिलेख दिनांक 01/04/26 वास्ते समन सामग्री हेतु नियत | लेखापित- अति. मुख्य न्या. दंडाधिकारी बनमनखी , पुर्णिया	